

बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

09 मार्च, 2022

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी] .

Total Short Notice Question- 5

नाले को ढकने की कार्रवाई

*49 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

क्या नगर विकास एवं आवास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिला मुख्यालय में यूनिवर्सिटी के सामने से आशाननपुर परवत्ती चौक, तक जाने वाली सड़क के साथ निर्मित नाले का ढक्कन नहीं रहने के कारण वर्षों से वहां के वासियों एवं पैदल यात्रियों को परेशानी के साथ-साथ भयावह बदबू का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि उपरोक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिकाबगंज मुहल्ला स्थित उक्त खुले नाले के अतिशीघ्र ढके जाने की कार्रवाई कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नाले पर ढक्कन नहीं

*50 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना के वार्ड नं.- 20 स्थित डॉ. सी.पी. ठाकुर पथ, न्यू पुनाईचक में कई वर्षों से नाला के कई चैम्बर के ऊपर ढक्कन नहीं हैं;

(ख) क्या यह सही है कि ढक्कन नहीं रहने के कारण बराबर दुर्घटना घटती रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त पथ में स्थित नाले के ऊपर बने चैम्बर पर ढक्कन डालना चाहती है?

पैमाइश एवं सीमांकन कबतक

***51 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि मनोज कुमार झा, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 06/खा0म0 पटना, 14/2021, 1492, दिनांक- 30.11.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि पटना जिला के संपतचक अंचल के अंतर्गत मौजा कान्ताचक थाना नं.- 103, खेसरा सं.- 65 भूखंड की मापी एवं सीमांकन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है;

(ख) क्या यह सही है कि आज तक खंड 'क' में वर्णित भूखंड का सीमांकन नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित भूखंड की पैमाइश और सीमांकन कब तक कराना चाहती है?

नाला एवं सड़क का निर्माण

***52 श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि नगर निगम के अली नगर मुहल्ला के वार्ड नं०- 10 में मो० गफ्फार के मकान से अलीनगर न्यू कब्रिस्तान तक सड़क एवं नाला नहीं रहने के कारण वहां के निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि बरसात के दिनों में खासकर महिलाओं एवं स्कूल जाने वाले

बच्चों को काफी दिक्कत होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मो० गफफार के घर से अलीनगर न्यू कब्रिस्तान तक नाला एवं सड़क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

लंबित आवेदनों का निस्तारण

*53 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

क्या राजस्व एवं भूमि सुधार मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, लगान रसीद, मापी, जल निकायों और लोकभूमि पर अतिक्रमण हटाने तथा गृहविहीनों को वास के लिए भूमि आवंटित करने संबंधित 3 करोड़ 54 लाख 49 हजार 347 ऑनलाइन आवेदन विभाग को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए;

(ख) क्या यह सही है कि इन आवेदनों में से 26 लाख 33 हजार 859 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया तथा लंबित आवेदनों की संख्या 23 लाख 50 हजार 848 है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निरस्त किए गये आवेदनों के कारण को बताते हुए शेष लंबित आवेदनों का निस्तारण ससमय कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?
